न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **156/2023**

प्रार्थी :– 1. मोहन पुत्र मूलाराम कौम मेगवाल निवासी रेवाडा जेतमाल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थी :–

1. हरीसिंह पुत्र अनोपसिह
2. दीपसिंह पुत्र दलपतसिंह
3. पैपसिंह पुत्र भंवरसिह
4. भोपालसिह पुत्र भंवरसिंह
5. सुआ कंवर पत्नी भंवरसिंह
6. माधुसिंह दत्तक पुत्र भैरूसिंह भंवरसिंह
7. सवाईसिंह पुत्र राजूसिंह भंवरसिंह
8. अंकल कंवर पत्नी राजूसिंह भंवरसिंह सभी जातियान राजपूत निवासी रेवाडा जेतमाल, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर।
9. रकमादेवी पत्नी उकाराम जाति चौधरी निवासी रेवाडा जेतमला तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
10. सूजाराम पुत्र उकाराम जाति चौधरी निवासी रेवाडा जेतमाल तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
11. सुआदेवी पत्नी मूलाराम
12. घेवर पुत्र मूलाराम
13. डूंगर पुत्र मूलाराम
14. बाबू पुत्र मूलाराम
15. जसकी पत्नी फारसाराम
16. पीलाराम पुत्र फारसाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:39 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

17.छोगाराम पुत्र फारसाराम जाति मेघवाल, निवासी रेवाडा जेतमाल तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

18.सचिव भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली।

19.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचप्रदरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री कपिल श्रीमाली , प्रार्थीगण अधिवक्ता

2. विप्रार्थीगण :– एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 18.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा रेवाडा जेतामल, पटवार हल्का रेवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 197/59 रकबा 4.2492 हैक्टेयर, खसरा संख्या 306/117 क्षेत्रफल 2.6628 हैक्टेयर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थी संख्या 2, 12 व 17 उपस्थित, प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे सहमती प्रस्तुत की है। [illegible]ण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया बावजूद [illegible] को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन [illegible] वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:39 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थी ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा रेवाडा जेतामल, पटवार हल्का रेवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 439/69 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 क्षेत्रफल 11.9058 हैक्टेयर भूमि मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रेवाडा जेतामल, पटवार हल्का रेवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 197/59 रकबा 4.2492 हैक्टेयर, खसरा संख्या 306/117 क्षेत्रफल 2.6628 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

हमने वकील प्रार्थी वकील की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॅार्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा रेवाडा जेतामल, पटवार हल्का रेवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 197/59 रकबा 4.2492 हैक्टेयर, खसरा संख्या 306/117 क्षेत्रफल 2.6628 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अ[illegible] से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड [illegible] खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है, जिस[illegible] प्रार्थीगण हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:39 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रेवाडा जेतामल, पटवार हल्का रेवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 197/59 रकबा 4.2492 हैक्टेयर, खसरा संख्या 306/117 क्षेत्रफल 2.6628 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर नेखमबंदी की जावे कमिश्नर फीस 1500/-प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 18.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18.7.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:39 IST
Reason: SelfAttested